भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. BKN/8/2016/STGOR/SEOTH/RU-III

6th floor, 'B' Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
दिनांक /Dated: 06/11/2017

To,

The Principal Account General (A&E)
Bhubaneswar,
Odisha- 751001

Sub: Representation dated 21.08.2016 of Shri Bijay Kumar Naik, Senior Accountant, cont. Branch to DAG(A) O/o the Pr, A.G (A&E), Odisha Bhubaneswar regarding Socially Boycott to an S.T employee.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Proceedings of the Sitting taken by Hon'ble Vice-Chairperson, NCST, on 02/11/2017 for taking necessary action. The compliance report in the matter may please be furnished to the Commission immediately.

Yours faithfully,

(S. P. Meena)
Assistant Director

Copy to:

Shri Bijay Kumar Naik,
Senior Accountant,
cont. Branch to DAG(A) O/o the Pr, A.G(A&E),
Odisha, Bhubaneswar-75100

2. SAS, NIC

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BKN/8/2016/STGOR/SEOTH/RU-III)

श्री विजय कुमार नायक, वरिष्ठ लेखपाल, महालेखाधिकारी कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़ीशा द्वारा उनके कार्यालय मे उनके साथ हुये सामाजिक बहिष्कार की घटना के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 02.11.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री विजय कुमार नायक, वरिष्ठ लेखपाल, प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर कार्यालय, ओड़ीशा ने उनके कार्यालय मे उनके साथ हुये सामाजिक बहिष्कार की घटना के संबंध मे दिनांक 21.08.2016 को आयोग मे अभ्यावेदन दिया था।
2. अभ्यावेदन मे बताया गया है कि, अभ्यावेदक प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर, ओड़ीशा मे वरिष्ठ लेखपाल पद पर कार्यरत हैं। ओड़ीशा अकाउंट एसोसिएशन के द्वारा दिनांक 18.07.2012 को उनके दफ्तर के नोटिस बोर्ड पर इनके नाम का उल्लेख कर सामाजिक बहिष्कार करने का एक नोटिस लगाया गया था। इससे उन्हे मानसिक रूप से काफी उत्पीड़न हुआ। इस घटना के पश्चात 28.07.2015 को एक महिला कर्मी द्वारा उनपर यौन शोषण का आरोप लगाया गया। उन्होने लिखा है कि कई तरीके से उन्हे प्रताड़ित किया जाता रहा है। अभ्यावेदक का कहना है कि अभी भी उन्हे अपमानित किया जा रहा है और उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है।
3. आयोग ने अभ्यावेदन पर विचार कर प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर को दिनांक 29.09.2016 को नोटिस भेजा तथा पंद्रह दिन के अंदर सभी तथ्य तथा आरोपों/मामलों पर की गई कार्यवाई से संबन्धित सूचना मांगी। प्रिंसिपल अकाउंट

सुश्री अनुसुईया उईके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर ने दिनांक 07.10.2016 को पत्र प्रेषित कर मामले मे की गई कार्रवाई से अवगत कराया कि कार्यालय प्रशासन ने शिकायत कमिटी द्वारा इसकी जांच कराई। कमिटी ने इस आरोप को खारिज कर शिकायत बंद कर दिया। इनके सामाजिक बहिष्कार के संबंध मे प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर ने यह बताया कि मामला चूंकि आयोग की जांच का विषय है, अतः वे आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे है। दिनांक 21.10.2016 को प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर के जवाब से अभ्यावेदक को सूचित किया गया। इसके प्रत्युत्तर मे अभ्यावेदक ने दिनांक 10.11.2016 को जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुये आयोग मे पुनः आवेदन के माध्यम से न्याय दिलाने का निवेदन किया।

4. आयोग द्वारा दिनांक 16.11.2016 को प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर को पत्र प्रेषित कर अभ्यावेदक की असंतुष्टि से अवगत कराते हुये उचित कार्रवाई कर दस दिन के अंदर आयोग को सूचित करने को कहा गया। इसके जवाब मे प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर ने दिनांक 28.11.2016 को प्रेषित पत्र मे बताया कि आवेदक ने इस शिकायत को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रपति और कैग को भी भेजा है। इस संबंध मे की गई कार्रवाई से पूर्व मे भी अवगत करा दिया गया है। उन्होने यह बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इस अभ्यावेदन पर जांच प्रतीक्षित है अतः प्रिंसिपल अकाउंट जनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर कार्यालय दोनों आयोगो के जांचोपरांत कार्रवाई करने मे सक्षम है।

5. दिनांक 01.12.2016 को प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर के जवाब से अभ्यावेदक को सूचित किया गया। इसके प्रत्युत्तर मे अभ्यावेदक ने दिनांक 20.12.2016 को जवाब से असंतुष्टि जाहिर करते हुये आयोग मे पुनः आवेदन के माध्यम से न्याय दिलाने का निवेदन किया। इस प्रकार लगातार पत्र के माध्यम से अभ्यावेदक ने प्रिंसिपल अकाउंट जनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर के जवाब से असहमति जताई और न्याय के लिए निवेदन किया।

6. अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर को दिनांक 11.10.2017 को नोटिस जारी कर बैठक के लिए दिनांक 02.11.2017 को 15:00 बजे आयोग मे बुलाया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

7. दिनांक 02.11.2017 को आयोग मे पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रिंसिपल अकाउंट जनरल की जगह डिप्टी अकाउंटेंट जनरल उपस्थित हुये। आयोग ने जानना चाहा कि मामले मे उनके कार्यालय ने क्या कार्यवाही की है। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल ने आयोग को अवगत कराया कि कार्यालय प्रशासन ने अभ्यावेदक पर लगे यौन शोषण के आरोप की जांच शिकायत कमिटी को सौंपी थी। कमिटी ने इसकी जांच कर इस आरोप को खारिज कर शिकायत बंद कर दिया है। अभ्यावेदक के सामाजिक बहिष्कार के संबंध मे डिप्टी अकाउंट जनरल ने बताया कि चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा इस अभ्यावेदन पर जांच प्रतीक्षित है अतः प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर कार्यालय दोनों आयोगो के जांचोपरांत कार्यवाई करने मे सक्षम है।

8. मामले पर सुनवाई कर आयोग ने यह पाया कि प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर कार्यालय ने मामले मे कोई कार्यवाई अब तक नही की है। वह अब तक यह मानते रहे हैं कि आयोग या कोई अन्य प्राधिकार उन्हे निर्देशित करेगा तब वे कार्यवाई करेंगे। आयोग ने यह सुझाव दिया कि चूंकि यह उनके कार्यालय मे घटित घटना है और उनके नियंत्रणाधीन है, अतः तत्काल एक जांच कमिटी बना कर मामले की जांच करें और तदुपरान्त 30 दिन के अंदर की गई कार्यवाई से आयोग को सूचित करें। आयोग ने यह भी पाया कि उनके कार्यालय मे कोई अनुसूचित जनजाति के लिए कोई लाइजन अधिकारी भी नही है। अतः आयोग यह सुझाव भी देती है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2/61 दिनांक 24.04.1962 तथा 16/17/67 दिनांक 10.04.1968 का पालन करते हुये तत्काल वहाँ एक लाइजन अधिकारी की नियुक्ति कर आयोग को सूचित करें।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुलग्नक - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- BKN/8/2016/STGOR/SEOTH/RU-III)

श्री विजय कुमार नायक, वरिष्ठ लेखपाल, महालेखाधिकारी कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़ीशा द्वारा उनके कार्यालय मे सामाजिक बहिष्कार के संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उईके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग मे उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुइया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर. के. दूबे, सहायक निदेशक
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव

प्रिंसिपल अकाउंट जेनरल (ए एंड ई), भुवनेश्वर कार्यालय के अधिकारी

1. श्री जी. एस. सूर्यवंशी, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल